संख्या– / 54–1–13 / 8(14) / 2012

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी**
(जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, शामली व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0

2. **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश, लखनऊ।

3. **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2013
(समादेश बन्धु)

विषय– **सेवा प्रदाता मेसर्स विब्ग्योर इन्फो प्रा0लि0 द्वारा एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी तथा पी.आई.ए. स्तर पर कार्मिकों के मानदेय से सर्विस चार्ज शून्य दशमलव चार प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) की कटौती किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया सेवा प्रदाता के चयन विषयक भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के शासनादेश संख्या 345 / 54–1–12 / 8(14) / 2012 दिनांक 6 जुलाई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत शासनादेश द्वारा आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए प्रदेश स्तर पर गठित एसएलएनए के अधीन स्थापित एसएलडीसी, जनपद स्तर पर स्थापित डब्ल्यूसीडीसी तथा पीआईए स्तर पर कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सर्विस प्रोवाइडर के चयन के सम्बन्ध में मेसर्स विब्ग्योर इन्फो प्रा0 लि0, सप्रू मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0 को निविदा के आधार पर पात्र पाये जाने एवं तत्सम्बन्धी अन्य निर्देश निर्गत किए गये थे।

2. उपरोक्त के क्रम में सेवा प्रदाता मेसर्स विब्ग्योर इन्फो प्रा0 लि0, सप्रू मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0 तथा तत्कालीन विशेष सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0शासन के मध्य दिनांक 10.07.2012 को 28 बिन्दुओं का अनुबन्ध–पत्र, अनुबन्ध मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5317(एम / बी) / 2012 में पारित निर्णय के अधीन, निष्पादित किया गया। *प्रश्नगत अनुबन्ध–पत्र में, सेवा प्रदाता (मेसर्स विब्ग्योर इन्फो प्रा0 लि0) द्वारा निविदा में प्रस्तावित एवं सक्षम स्तर पर अनुमोदित शून्य दशमलव चार प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) सर्विस चार्ज की कटौती कार्मिकों के मानदेय से किए जाने के सम्बन्ध में, कोई उपबन्ध नहीं किया गया था, जिस हेतु पृथक से अनुपूरक अनुबन्ध निष्पादित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।*

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा प्रदाता मेसर्स विब्ग्योर इन्फो प्रा0 लि0, सप्रू मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के मानदेय से उपरोक्तानुसार सर्विस चार्ज के रूप में शून्य दशमलव चार प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) धनराशि की ही कटौती की जाएगी। तद्नुसार समस्त उप निदेशकों / भूमि संरक्षण अधिकारियों को अपने स्तर से यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि प्रत्येक स्तर पर सेवा प्रदाता द्वारा

संख्या– /54–1–13/8(14)/2012

उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के मानदेय से सर्विस चार्ज की कटौती के सम्बन्ध में जाँच कर लें, यदि सेवा प्रदाता द्वारा शून्य दशमलव चार प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) से अधिक सर्विस चार्ज की कटौती की गयी हो तो ऐसी धनराशि की वापसी (Refund) सेवा प्रदाता से सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या– 41 (1)54–1–13/8(14)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी (जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर) उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य वित्तीय सलाहकार/वित्त नियंत्रक, एसएलएनए, शारदा सहायक समादेश लखनऊ, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि एसएलडीसी, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ, में कार्यरत समस्त एक्सपर्ट्स/कार्मिकों के मानदेय के भुगतान में सर्विस चार्ज की कटौती के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार जाँच कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
6. समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन
8. मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0लि0, प्रथम तल, रोहित काम्प्लेक्स, सप्रू मार्ग, लखनऊ, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के मानदेय में से 0.4 प्रतिशत सर्विस चार्ज की धनराशि की ही कटौती सुनिश्चित करें तथा पूर्व में यदि 0.4 प्रतिशत सर्विस चार्ज से अधिक की कटौती की गयी हो तो उसकी वापसी (Refund) तत्काल करना सुनिश्चित करते हुए तत्सम्बन्धी विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें एवं अनुपूरक अनुबन्ध पत्र निष्पादित किए जाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करायें।
9. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, 23सी, गोखले मार्ग, लखनऊ, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय **वेबसाइट** http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी एवं दोनों समादेशों के प्रशासकगण को **ई–मेल** भी प्रेषित करें।
10. गार्ड फाइल।

23.1.13

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी